

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 742 /3क(2)/नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक 01/12/18

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-हिन्दी (शाखा:-सामान्य)

क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1/ 20.09.2018	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल, ग्राम- छानाउपाध्याय, पो०ओ०- देवलधार, जिला- बागेश्वर, पिन कोड- 263630	13.07.1990	बागेश्वर	अनु.जा.	-	110.75	रा.इ.का. बूरा (घाट) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	2/ 20.09.2018	श्री करन सिंह पुत्र श्री नेतराम, ग्राम व पो०- शिवराजपुर तहसील- जसपुर, वाया- काशीपुर, जिला- उधमसिंहनगर पिन कोड- 244713	10.06.1974	ऊधमसिंह नगर	अनु.जा.	-	110.25	रा.उ.मा.वि. थापला (बीरोंखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा.अराज./ 12421-30 /3क(2)नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में हिन्दी विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो / अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु०.....पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष

नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गाढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....

ह०

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० एवं सील संस्थाध्यक्ष

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सहायक
अध्यापक, विद्यालय का नाम..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त
शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह0

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 743 / 3क(2)/नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक 01/12/18

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-अंग्रेजी (शाखा:-सामान्य)

क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5/ 20.09.2018	श्रीमती सरिता रावत पत्नी श्री अंकित रावत, पो०ओ०- कमलेश्वर, नियर- पौड़ी चुंगी, बुघाणी रोड़, अमराकुंज, श्रीनगर गढ़वाल, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड- 246174	28.06.1986	पौड़ी	सामान्य	महिला	102.00	रा.इ.का. बैजवाड़ी (कीर्तिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	6/ 20.09.2018	श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री सुनील कुमार, 15- कृष्णा कुँज, भोला रोड़, मेरठ, उत्तरप्रदेश, पिन कोड- 250002	25.06.1987	अल्मोड़ा	सामान्य	-	102.00	रा.इ.का. मुण्डनेश्वर (कल्जीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	7/ 20.09.2018	श्री खेम चन्द्र पुत्र श्री महेश चन्द्र करगेती, ग्राम- तिवाड़ी गांव, पो०ओ०- ऊर्वाकोट, ब्लॉक- बैताल घाट, जनपद- नैनीताल, पिन कोड- 263134	23.07.1987	नैनीताल	सामान्य	-	102.00	रा.इ.का. खाल्यूखेत (नैनीडांडा) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	8/ 20.09.2018	कु० नीलम जोशी पुत्री स्व० श्री गिरीश चन्द्र जोशी ग्राम व पो०ओ०- पोखरी (पाण्डेगांव) तहसील- गंगोलीहाट, जनपद- पिथौरागढ़ पिन कोड- 262522	01.06.1989	पिथौरागढ़	सामान्य	महिला	102.00	रा.उ.मा.वि. निलाड़ी (नारायणबगड़) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	10/ 20.09.2018	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री फौज सिंह, ग्राम- सुमाडी भरदार, पो०ओ०-तिलवाडा, जनपद- रुद्रप्रयाग, पिन कोड- 246475	03.07.1978	रुद्रप्रयाग	अनु.जा.	-	89.00	रा.इ.का. सौराखाल (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	11/ 20.09.2018	श्री विजय कुमार पुत्र श्री जीत राम, ग्राम- मवानी (टुपरौली), पो०ओ०- रूगडी (गणाई गंगोली) जनपद- पिथौरागढ़ पिन कोड- 262532	01.07.1982	पिथौरागढ़	अनु.जा.	-	88.50	रा.इ.का. कूनीपार्था (थराली) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में अंग्रेजी विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह0संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....

ह0

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./७५७ /३क(२)/नियुक्ति (६० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक ०१/१२/१८

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की के विज्ञापन संख्या- ५६०० /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / २०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/१३३३/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./२०१८-१९/दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा ६० प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-०९ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-गणित (शाखा:-सामान्य)

क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14/ 20.09.2018	श्री मदन मोहन तेवाड़ी पुत्र श्री हरीश चन्द्र तेवाड़ी, ग्राम-मटेला, पो०ओ०- बिन्ता बगवालीपोखर, जनपद- अल्मोड़ा पिन कोड- 263621	10.06.1988	अल्मोड़ा	सामान्य	-	106.50	रा.उ.मा.वि. झूमाखेत (गैरसैण) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	15/ 20.09.2018	श्री मनमोहन सिंह पोखरिया पुत्र श्री राम सिंह पोखरिया, पो०ओ०- सिलथाम, कुन्ती कुंज न्यू तिलदुकरी, पुलिस लाइन रोड, जनपद पिथौरागढ़, पिन कोड- 262501	27.07.1990	पिथौरागढ़	सामान्य	-	106.50	रा.इ.का. रतगांव (थराली) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	18/ 20.09.2018	श्री दीपक डबराल पुत्र स्व० श्री खुशीराम डबराल, ई-०२/१९१, एम०डी०डी०ए० कालोनी, पो०ओ०- डिफेन्स कालोनी, जनपद- देहरादून, पिन कोड- 248001	14.04.1978	देहरादून	सामान्य	-	106.00	रा.इ.का. किनसुर (द्वारीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	19/ 20.09.2018	श्री गौरव असवाल पुत्र स्व० श्री कुंवर सिंह असवाल, असवाल भवन, बेलनी का ऊपरी हिस्सा, वार्ड न०-०४, पो०ओ०- पल्ला बाजार, जनपद- रुद्रप्रयाग, पिन कोड- 246171	04.03.1987	रुद्रप्रयाग	सामान्य	-	106.00	रा.उ.मा.वि. सुतोल (घाट) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	20/ 20.09.2018	श्री सुभाष सिंह पंवार पुत्र श्री कुंवर सिंह पंवार, गली नं०- ३१, म०नं०- ९६, वार्ड नं०- ०४, शीशम झाड़ी, मुनि की रेती, पो०ओ०- कैलाश गेट, ऋषिकेश, जनपद- टिहरी गढ़वाल, पिन कोड- 249137	23.08.1981	रुद्रप्रयाग	सामान्य	-	105.75	रा.उ.मा.वि. सौन्दी (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

6	23/ 20.09.2018	श्रीमती सरिता कार्की पुत्री श्री सोबन सिंह कार्की, कमरा न0-08, टाईप-03, न्यू ऑफिसर्स कालोनी नर सिंह बाडा, पो0ओ0- अल्मोडा, जनपद- अल्मोडा, पिन कोड- 263601	09.05.1989	अल्मोडा	सामान्य	महिला	97.50	रा.उ.मा.वि. भाल की माण्डे (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	26/ 20.09.2018	कु0 ऋतु शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द शर्मा, ग्राम- गुजरावाली, पो0ओ0- नथुवावाला, दुर्गा कालोनी, जनपद- देहरादून, पिन कोड- 248008	11.11.1989	देहरादून	सामान्य	महिला	97.25	रा.इ.का. घेराधार (नरेन्द्रनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	27/ 20.09.2018	श्री प्रभाकर डंगवाल पुत्र श्री शिवानन्द डंगवाल, ग्राम व पो0ओ0- गंगोरी, डंगवाल भवन, गंगोरी सेरा, जनपद- उत्तरकाशी, पिन कोड- 249193	05.04.1981	उत्तरकाशी	अ.पि.व.	-	97.00	रा.इ.का. मंजकोट नगुण (थौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	28/ 20.09.2018	श्री भानु प्रताप सिंह कैन्तुरा, पुत्र स्व0 श्री प्यार सिंह कैन्तुरा, ग्राम व पो0ओ0- पीपल मण्डी, चिन्यालीसौड, जनपद- उत्तरकाशी, पिन कोड- 249196	26.02.1989	उत्तरकाशी	अ.पि.व.	-	96.75	रा.इ.का. ज्येष्ठवाड़ी (चिन्यालीसौड) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	29/ 20.09.2018	श्री कृष्णा कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री फकीर राम विश्वकर्मा, ग्राम- अमारु, पो0ओ0- खटीमा, म0न0-472, निकट- टनकपुर रोड, खडायत स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट, जनपद- उधमसिंहनगर, पिन कोड- 262308	03.11.1988	ऊधमसिंहनगर	अनु.जा.	-	83.00	रा.उ.मा.वि. मोक्षण (नैनीडाण्डा) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	30/ 20.09.2018	श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री धर्मपाल, ग्राम-ब्रहमपुर, पो0ओ0-ढन्डेडी, तहसील-रूड़की, जनपद- हरिद्वार, पिन कोड- 247667	02.01.1987	हरिद्वार	अनु.जा.	-	82.75	रा.उ.मा.वि. थौलधार भटवाड़ा (भिलंगना) टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पू0सं0/सेवा.अराज./ 12500-20 /3क(2)नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में गणित विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती /कु0.
पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह
 / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

H0संस्थाध्यक्ष

नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र,स्थायी निवास प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
 ढाढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सहायक
अध्यापक, विद्यालय का नाम..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त
शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह0

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ २५६ /३क(२)/नियुक्ति (६० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक ०१/१२/१८

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- ५६०० /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / २०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/१३३३/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./२०१८-१९/दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा ६० प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-०९ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-विज्ञान (शाखा:-सामान्य)

क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	३३/ २०.०९.२०१८	श्री निर्मल चमोली पुत्र श्री भगवती प्रसाद चमोली, केयर आफ- राकेश चन्द्र सेमवाल, सेमवाल सदन, निकट- कालेश्वर मन्दिर, जोशियाडा, जनपद- उत्तरकाशी, पिन कोड- २४९१९३	१०.०४.१९८५	उत्तरकाशी	सामान्य	-	१००.७५	रा.उ.मा.वि. गंगाड़ (मोरी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
२	३४/ २०.०९.२०१८	श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, केयर आफ- जीतेन्द्र सिंह, रा०इ०का० टैंडी, पो०ओ०- काण्डाई, जनपद- रुद्रप्रयाग, पिन कोड- २४६१७१	१६.०९.१९९१	रुद्रप्रयाग	सामान्य	-	१००.७५	रा.इ.का. जाखाल (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
३	३६/ २०.०९.२०१८	श्री मनीष कुमार गागट पुत्र श्री बालेश कुमार, जी०पी०ओ०, ५२४, खुडबुडा मौहल्ला, जनपद- देहरादून, पिन कोड- २४८००१	१०.०८.१९८२	देहरादून	अनु.जा.	-	८९.७५	रा.उ.मा.वि. बरौंथा (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा.अराज./ १२५८१-९९ /३क(२)नियुक्ति (६० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
२. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
५. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में विज्ञान विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न कराये।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु०.....पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र,स्थायी निवास प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


 (महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....सहायक
अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त
शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह0

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 744 /3क(2)/नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक 01/12/18


विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-सामाजिक विज्ञान (शाखा:-सामान्य)

क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	38/ 20.09.2018	श्री कमलेश कुमार गुरुरानी पुत्र श्री हरिदत्त गुरुरानी, कुजौली, नियर- भूमियाँ मन्दिर, पो०ओ०- पिथौरागढ़, जनपद- पिथौरागढ़, पिन कोड- 262501	02.11.1975	पिथौरागढ़	सामान्य	-	130.50	रा.उ.मा.वि. कोठा (गैरसैण) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	39/ 20.09.2018	श्री अरविन्द प्रसाद पुत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद जोशी, ग्राम- भेलुन्ता, पो०ओ०- प्रतापनगर, जनपद- टिहरी गढ़वाल, पिन कोड- 249165	15.10.1986	टिहरी गढ़वाल	सामान्य	-	129.50	रा.इ.का. बाँठ भरपूर (देवप्रयाग) टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	40/ 20.09.2018	श्री गणेश सिंह कार्की पुत्र श्री नैन सिंह कार्की, ग्राम- टाना, पो०ओ०- पॉखू, जनपद- पिथौरागढ़, पिन कोड- 262533	01.12.1986	पिथौरागढ़	सामान्य	-	129.50	रा.उ.मा.वि. रिस्ती (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	42/ 20.09.2018	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, ग्राम- जरमाल गांव, पो०ओ०- कनारा, तहसील- गंगोलीहाट, जनपद- पिथौरागढ़, पिन कोड- 262522	09.03.1985	पिथौरागढ़	सामान्य	-	129.25	रा.इ.का. जोलाकोट (थराली) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	43/ 20.09.2018	श्री राहुल पंवार पुत्र श्री जवाहर सिंह पंवार, न्यू फारेस्ट, बी-72, एफ०आर०आई०, जनपद- देहरादून, पिन कोड- 248006	16.04.1988	देहरादून	अ.पि.वर्ग	-	126.25	रा.उ.मा.वि. मैन्द्रथ (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

6	44/ 20.09.2018	श्री केशवा नन्द पुत्र श्री लायक राम, महिपाल सिंह रावत डॉक्टर गंज, पुल न0- 01, विकासनगर, जनपद- देहरादून, पिन कोड- 248198	13.04.1987	देहरादून	अ.पि.वर्ग	-	124.00	रा.उ.मा.वि. कोटा तपलाड़ (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	45/ 20.09.2018	श्री नवीन राम पुत्र श्री हरगोविन्द राम, ग्राम- मिहिनियां, पो0ओ0- भटोली, तहसील- बागेश्वर, जनपद- बागेश्वर, पिन कोड- 263642	23.06.1984	बागेश्वर	अनु.जाति	-	116.50	रा.उ.मा.वि. अन्ताखोली (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	46/ 20.09.2018	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रमेश निराला केयर आफ- गढ़वाल शूज हाउस, कालेज रोड, पो0ओ0- चम्बा, जनपद- टिहरी गढ़वाल, पिन कोड- 249145	11.08.1985	टिहरी गढ़वाल	अनु.जा.	-	116.50	रा.इ.का. बागी मठियाणगांव (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ0सं0/सेवा.अराज./ 12451-70 /3क(2)नियुक्ति (60 प्रति)/2018-19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में सामाजिक विज्ञान विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न कराये।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
.....एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की
भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती
/ कु०.....पद.....विषय.....को दिनांकके
पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सेट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....

ह०

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 745 /3क(2)/नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक 01/12/18

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल0टी0भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थिनी को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-सामाजिक विज्ञान (शाखा:-महिला)

क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थिनी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	47/ 20.09.2018	श्रीमती रेखा पाण्डे पुत्री श्री उर्बा दत्त पाण्डे, केयर आफ- भुवन चन्द्र पंत, त्यूनतरा (त्रिपुरासुन्दरी) निकट- हजारा बेकरी, जनपद- अल्मोडा, पिन कोड- 263601	02.06.1982	नैनीताल	सामान्य	महिला	115.25	रा.क.उ.मा.वि. कैन्थोली (जाखणीघार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ0सं0/सेवा.अराज./ 12471-80 /3क(2)नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थिनी का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थिनी का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में सामाजिक विज्ञान वषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हों / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थिनी के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न कराये।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम)..... पदनाम..... विद्यालय का नाम.....
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु०..... पद..... विषय..... को दिनांक के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र,स्थायी निवास प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इसे आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


 (महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
 प्रदेवाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करुंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करुंगी।

ह०

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह०एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 748 /3क(2)/नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक 01/12/18

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल0टी0भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थिनी को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-विज्ञान (शाखा:-महिला)

क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थिनी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	37/ 20.09.2018	कु0 मीनाक्षी पुत्री श्री इन्द्र लाल टम्टा, गणेशपुर, वाया- प्रेमनगर, पो0ओ0- कारबारी, शिमला रोड, जनपद- देहरादून, पिन कोड-248007	20.07.1987	देहरादून	अनु.जा.	महिला	80.50	रा.क.उ.मा.वि. थान (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पु0सं0/सेवा.अराज./ 12521-30

/3क(2)नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थिनी का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थिनी का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में विज्ञान वषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो/ अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थिनी के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न कराये।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती /कु०.....पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र,स्थायी निवास प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


 (महावीर सिंह बट्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....सहायक
 अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह०

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित
 ह०एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 749 /3क(2)/नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक 01/12/18

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल0टी0भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थिनी को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-गणित (शाखा:-महिला)

क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थिनी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/ 20.09.2018	श्रीमती सुभागा पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह रावत, ग्राम- न्यू डांग, मो0- शिव विहार, पो0ओ0- श्रीनगर गढ़वाल, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड- 246174	13.03.1983	पौड़ी	सामान्य	महिला	97.25	रा.बा.इ.का. रुद्रप्रयाग (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पू0सं0/सेवा.अराज./ 12531-40 /3क(2)नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थिनी का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थिनी का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में गणित विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो / अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थिनी के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न कराये।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु०.....पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र,स्थायी निवास प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


 (महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....सहायक
 अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह०

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 750 / 3क(2)/नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक 01/12/18
विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/ 1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-10 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। औपबन्धिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को आपत्ति/औपबन्धन समाप्ति के उपरान्त पृथक से नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

शाखा-सामान्य											
क्र. सं.	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	विषय	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण	औप. का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3/ 20.09.2018	हिन्दी	श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, ग्राम- नसीरपुर अफजलपुर, पो०- गुरुकुल, नारसन, हरिद्वार, पिन कोड- 217670	03.07.1987	हरिद्वार	अनु.जा.	-	109.50	रा.इ.का. धोपड़धार (भिलंगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
2	4/ 20.09.2018	हिन्दी	श्री चित्रेश कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, ग्राम- जगजीतपुर, पो०- कनखल, मौ०- सगरावाला, निकट- पीठ बाजार की पुलिया जगजीतपुर, जनपद- हरिद्वार पिन कोड- 249408	01.07.1974	हरिद्वार	अनु.जा.	-	109.25	रा.उ.मा.वि. गोना गोनगढ (भिलंगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	स्नातक उपाधि का सत्यापन
3	9/ 20.09.2018	अंग्रेजी	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार वर्मा ग्राम व पो०ओ०- रेशम माजरी डोईवाला, जनपद- देहरादून, पिन कोड- 248140	11.02.1980		सामान्य	महिला	101.75	रा.इ.का. गैरनगुण (धौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	स्नातक उपाधि का सत्यापन
4	13/ 20.09.2018	गणित	श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री बी० एल० बडोनी, ग्राम- बरसोली, पो०ओ०- सौड़, जनपद- टिहरी गढ़वाल पिन कोड- 249126	01.11.1987	टिहरी	सामान्य	-	106.50	रा.उ.मा.वि. गोवाली (भिलंगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
5	16/ 20.09.2018	गणित	श्री अनिल रयाल पुत्र स्व० श्री प्रेम लाल रयाल, आनन्द विहार कलोनी, ढालवाला, पो०ओ०- मुनिकी रेती, तहसील- नरेन्द्रनगर, जनपद- टिहरी गढ़वाल पिन कोड- 249137	01.07.1988	टिहरी	सामान्य	-	106.25	रा.इ.का. बनचूरी (भिलंगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
6	17/ 20.09.2018	गणित	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, ग्राम- धारीवाला, पो०ओ०- शाहपुर शीतला खेडा, जनपद- हरिद्वार पिन कोड-247663	01.08.1989	हरिद्वार	सामान्य	-	106.25	रा.इ.का. केपार्स (भिलंगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	भिन्न-भिन्न नामांकन संख्या का सत्यापन
7	21/ 20.09.2018	गणित	श्री धनवेश कुमार राठी पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह राठी, ग्राम व पो०ओ०- नारसन कलां, परगना- मंगलौर, जनपद- हरिद्वार, पिन कोड- 247670	15.04.1981	हरिद्वार	अ.पि.व.	-	97.75	रा.उ.मा.वि. ओनालगांव (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन

8	22/ 20.09.2018	गणित	श्रीमती रजनी पत्नी श्री विनोद नेगी, ग्राम- पनाई (प्रमनगर) पो0ओ0- गौचर, जनपद- चमोली, पिन कोड- 246429	05.02.1984	चमोली	सामान्य	महिला	97.50	रा.इ.का. उडामाण्डा (पोखरी) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	स्नातक उपाधि/ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
9	25/ 20.09.2018	गणित	श्रीमती निर्मला धनाई पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह धनाई, उफल्डा, पो0ओ0- श्रीनगर गढ़वाल, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड-246174	01.10.1986	रूद्रप्रयाग	सामान्य	महिला	97.25	रा.इ.का. पलेठी बनगढ़ (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	स्नातक उपाधि/प्रशि क्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
10	31/ 20.09.2018	विज्ञान	श्री सुशील भट्ट पुत्र श्री राम प्रसाद भट्ट, गीता निकेतन स्कूल कैम्पस, नजदीक डी0एन0 कालेज, सलार रोड, पो0ओ0- कुरुक्षेत्र, जनपद- हरियाणा, पिन कोड- 136118	02.10.1985	रूद्रप्रयाग	सामान्य	-	103.00	रा.इ.का. बूरा (घाट) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
11	32/ 20.09.2018	विज्ञान	श्री महिपाल सिंह फरस्वाण पुत्र श्री नारायण सिंह, ग्राम व पो0ओ0- रूमसी, अगस्त्यमुनि, जनपद- रूद्रप्रयाग, पिन कोड- 246421	12.06.1979	रूद्रप्रयाग	सामान्य	-	101.00	रा.इ.का. कोटबांगर (जखोली) रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
12	35/ 20.09.2018	विज्ञान	कु0 किरन पुण्डीर पुत्री श्री विजेन्द्र सिंह पुण्डीर, केयर आफ- श्री बीर सिंह रावत, गीतापुरम बालावाला, जनपद- देहरादून, पिन कोड- 248161	28.09.1990	टिहरी गढ़वाल	सामान्य	महिला	100.25	रा.उ.मा.वि. कनफोलाखाल (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
13	41/ 20.09.2018	सामान्य	श्री चन्द्र किरण सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, ग्राम- गौछेणा, पो0ओ0- बडियार गांव, विकास क्षेत्र- रिखणीखाल, तहसील- लैन्सडाउन, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड- 246179	14.05.1988	पौड़ी गढ़वाल	सामान्य	-	129.50	रा.उ.मा.वि. गुणेडी, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन

(महावीर सिंह बिष्ट) 30-11-18
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पू0सं0/सेवा.अराज./ 12541-60 /3क(2)नियुक्ति (60 प्रति.)/2018-19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में स्तम्भ-3 के विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न कराये।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की मलीभौति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु०.....पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वाह्न / अपराह्न में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....

ह०

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० एवं सील संस्थाध्यक्ष